No. L-11011/04/2016-RE-I (351613)
Government of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development

Krishi Bhavan, New Delhi - 110114
Dated 2nd January, 2017

To
All Member of the Central Employment Guarantee Council (CEGC)
(As per list enclosed)

Subject: Minutes of the meeting of (CEGC) held on 30th November, 2016

Sir/Madam,

I am directed to circulate the minutes of the meeting of the Central Employment Guarantee Council held on 30th November, 2016 for information.

Yours faithfully,

(A K Sumbly)
Deputy Secretary (MGNREGA)
Tel: 23070129

Copy to:
1. PS to Union Minister of Rural Development, Panchayati Raj, Sanitation & Drinking Water
2. PS to Minister of State, Ministry of Rural Development
3. PPS to Secretary, Ministry of Rural Development
4. PPS to Addl. Secretary, Ministry of Rural Development
5. All consultants, MGNREGA

Minutes of 17th meeting of Central Employment Guarantee Council

30th November 2016

The 17th Meeting of the Central Employment Guarantee Council was held at Vigyan Bhawan, New Delhi on 30th November, 2016 under the chairmanship of Shri. Nardendra Singh Tomar, Hon'ble Union Minister for Rural Development. The list of officials and non-officials present in the meeting is at **Annexure-I.**

The meeting began with a presentation by the Joint Secretary, MGNREGA before the Council highlighting the performance of MGNREGA in the FY 2016-17. The enhanced budgetary allocation towards MGNREGA and steps taken to ensure timely payment of wages clearly indicate that the Government accords top priority to this programme. The Ministry has greater focus on Convergence, Water conservation & NRM works, transparency and accountability through DBT, Social Audit, Geo tagging of assets etc. Inter State Exchange Programmes have resulted in cross learning among the States. Skilling of MGNREGA workers through Barefoot Technician project and Livelihoods in Full Employment (LIFE) Projects have been rolled out. The number of registers maintained at the Gram Panchayat level have been brought down to 7 for easy maintenance of the records.

The following suggestions were made by the members of the Council:

1. **Justice J C Verma**

MGNREGA is not implemented in letter and spirit in the State of Haryana. The Ministry may take steps to get capture the realistic status of implementation of the scheme in Haryana.

2. **Shri. Amitabh Mukhopadhyay**
    a. The Ministry may define role of the CEGC and its functioning and share the protocol on how the Members can effectively contribute to the planning and implementation of the Scheme.
    b. It has been observed that in many cases the demand is captured based on the State's projection and not on the basis of actual demand by Job card holders. The Ministry may analyse the demand and supply of work and take measures to streamline the process of entitlement delivery.
    c. The Ministry may strengthen the Grievance redressal system.

3. Shri M N Roy

a. Holistic plan for MGNREGA works should be made and capacity building of all the technical staff may be done. Training to rural masons should be taken up on a large scale considering the convergence of MGNREGA with PMAY. This will also ensure quality of construction.

b. Rolling out of Ne-FMS is a welcome step. Time-frame for upscaling it to all the States/ UTs may be planned.

c. There should be a vision for rural road network in the country. Road registers may be introduced to keep track of connected and unconnected habitations and updated regularly. This will give the status of road network and help planning the PMGSY and other roads.

d. Solid and Liquid waste management should be a thrust area in MGNREGA works. Progress on such works should be captured under three categories i.e IHHL, Community toilets and ODF panchayats.

e. In order to gauge the impact of NRM and Solid and Liquid waste management works, an impact-evaluation study may be conducted and the outcome may be shared with the Committee.

4. **Prof N H Ravindranath**

a. Climate change and its effects are emerging concerns across the globe. We may devise mechanism to link MGNREGA works to climate resilience, drought proofing and sustainable agriculture.

b. The MGNREGA works may be aligned to achieve the UN Sustainable Development Goal (SDG) and climate proofing.

5. **Ms. Madhu Khetan**

a. An independent study may be taken up to understand the pros and cons of e-FMS system so that suitable measures can be taken up to mitigate the difficulties in implementing e-FMS.

b. For the Gram Panchayats, IPPE exercise was taken up in previous years and now Gram Panchayat Development Plan (GPDP) is being initiated. Many of the projects identified during IPPE were not taken up. At present works that are given technical and administrative sanction are only visible in the MIS. However, the entire shelf of projects should be visible in the MIS. An analysis of the shelf of projects identified, implemented and left out will help in drawing rationale for GPDP. Secondly the planning should be made for 4-5 years, so that repetitive yearly planning can be avoided.

c. The Ministry is planning to restructure the MIS and the MGNREGA website. Efforts should be made to create a user friendly website. The CEGC members may be involved in this process.
d. It has been observed that in e-FMS system, FTOs are rejected in large numbers. The reasons for rejection of such FTOs may be analysed and measures may be taken to mitigate such troubles.
e. The progress of CFT Project may be shared with the CEGC.

6. **Ms. Shobha Singh**
    a. Payment of wages through eFMS is praiseworthy but there is difficulty in the operationalization. There are cases where the finger print is not recognized. Hence, payment of wages cannot be made to workers.
    b. In rural areas, banks are denying to open accounts of MGNREGA workers who do not possess AADHAAR. Instruction may be issued to such banks to open accounts even without AADHAAR. Camps may be organized for AADHAAR enrolment of MGNREGA workers.
    c. Workers who have worked 100 days and more in MGNREGA may be prioritized and given incidental infrastructure for livelihoods enhancement such as cattle shed, goat shed, poultry shed etc.
7. **Shri Ghulam Mohammad Sheikh**

    In the State of Jammu and Kashmir, MGNREGA workers are not getting timely wage payments. In certain cases, the payment is also not paid for the number of days the worker has worked. An independent Committee may be constituted by the Ministry for inspection of works and payment related issues in MGNREGA.

8. **Shri Pramathesh Ambasta**
    a. The progress on Cluster Facilitation Team (CFT) project may be shared with the CEGC members.
    b. Mission Water Conservation, initiated by the Ministry, is a welcome step.
    c. The CEGC members may be given more avenues to participate in the policy making aspect of the programme.
    d. There is a need to restructure the heads within MIS. In addition to Individual assets, data on community/ public assets may also be captured in the MIS. In addition, rationalization of work categories in MIS need to be taken up.
    e. Following are few issues in implementation of MGNREGA which may be analysed and appropriate steps may be taken.

i. The delay in wage payment have resulted in loss of faith in MGNREGA work.

ii. Funds are directly credited into the bank account of workers through e-FMS and Ne-FMS. The Gram panchayats are showing less interest in MGNREGA works as they are losing control over the financial resources.

iii. There is implicit rationing of works on ground. Steps may be taken to overcome such issues.

9. **Dr. Dhan Kumar**

Steps should be taken to strengthen the monitoring and supervision of MGNREGA works in Haryana. The Ministry may consider works such as construction of Park, entry gate etc as permissible works under MGNREGA.

10. **Ms. Vartika Nanda**

a. The Ministry may bring to the fore its achievement and innovations under MGNREGA through strong media campaign.

b. "Development Communication" is included as part of academic courses in Journalism. The students studying Journalism may be given an opportunity to document the best practices for the Ministry.

c. The social media platforms like Facebook and twitter can be effectively used by the MoRD.

d. Small Film clips can be created showcasing MGNREGA achievements and innovations.

e. CEGC members may be invited to participate in the field visits and consulted so that they can help in the process based on their expertise.

11. **Ms. Kamayani Swamy**

a. **NeFMS and PFMS:** Due to technological limitations much inconvenience is caused to workers. In addition, when previously a payment was delayed the matter was solved at the block level, but now the eFMS has centralized the matter and ordinary workers with no access to information technology are left in a lurch. The Ministry may conduct an independent evaluation by competent technical/academic organization on the impact of NeFMS and PFMS on:

i. Fund availability with states

ii. Delays in wage payments to workers

b. Late Payment and Compensation:

i. With respect to compensation payable for delays in wage payments, there is a vast gap that exists between the Amount Payable and the Amount Paid, for FY 2016-17. This is due to the fact that Section 2.8.6. of the Annual Master Circular provides the Programme Officer the discretionary power to approve or disapprove compensation payable based on lack of availability of adequate funds; natural calamities; compensation not due and others. This discretion granted to the PO by an executive instruction (Annual Master Circular) is in violation of the Act.

ii. In addition, there is a discrepancy between Section 29 (1) (c) of Schedule I of the Act, which states "The computer system shall have a provision to automatically calculate the compensation payable based on the date of closure of the muster roll and the date of deposit of wages in the accounts of the wage seekers" and Section 2.8.4. of Annual Master Circular, 2016 which states "NREGASoft has a provision to automatically calculate the total compensation payable, based on the date of closure of the muster roll and the date of generation of Fund Transfer Order." This is a violation of the Act, wherein wages have to be paid into the accounts of workers within 15 days, and it is recommended that this section of the Annual Master Circular be rectified immediately, to make consonant with provisions of the Act.

iii. The Central Government should take immediate action under Section 25 of the Act against all states, which have not paid compensation to workers for delay in wages.

iv. Section 2.8.9. of the Annual Master Circular, 2016 detailing the upfront payment of compensation to workers by the Central Government and considered an advance release to states.

v. States have a negative balance with pending liabilities. In such a situation the Government should state its commitment to meeting the budgetary needs of this demand driven programme.

vi. Top down setting of targets on particular kinds of work such as farm ponds, anganwadi centres, individual household latrines, vermi compost or NADEP pits, by the state and central governments, is illegal and untenable as per Section 7 of Schedule 1 of the Act which mandates placing of all works to

be taken up before the Gram Sabha. It is recommended that no such top down targets be allowed under MGNREGA.

vii. There are complaints from NREGS workers in Bihar that they are being denied work and demand registration if their photographs are not uploaded on the MIS. This is a violation of the act. Ministry may issue instruction to States that unavailability of photograph cannot be used to deny work registration/work. Panchayat level camp should be held to click photographs of the workers if needed.

viii. The Ministry may form a sub-group to discuss on various aspects of the programme.

12. **Ministry of Tribal Affairs**

The Ministry may focus on providing adequate employment to Scheduled Tribes and an analysis may be made on the percentage of STs, PVTGs getting wage employment under MGNREGA.

13. **Dr G.S.G. Ayyangar, Secretary RD, Government of Tripura**

The Government of Tripura is taking all necessary steps for implementation of the scheme and the Ministry's support has accelerated the progress.

14. **Shri Nagendra Nath Sinha, Principal Secretary – Rural Development, Government of Jharkhand**

a. The wage rate notified for Jharkhand State is lower than the prevailing wage rate in the State. The Ministry may consider increasing the wage rate for Jharkhand State.
b. In project LIFE, the trainees are not paid stipend and hence less number of candidates are showing interest for the training. Provision of stipend may be considered and the cost norm may be revised.
c. Vendor management is a concern for the State. Guidelines may be issued to States to encourage SHGs to act as vendor for MGNREGA works.
d. The Ministry has issued guideline to pay regular monthly remuneration to BFTs. This may be relooked.

15. **Shri Debashish Prusty,** Commissioner MGNREGA Government of Rajasthan

For sprinkler based irrigation system the subsidy provided under National Horticulture Mission (NHM) is insufficient. The Ministry may consider to fund the additional requirement from the material component of MGNREGA works.

16. Dr. Shikha Anand, Director, DGE, Ministry of Labour and Employment

All MGNREGA workers or members of the household trained under various skill training trades should be included in National Service Portal to avail other appropriate employment opportunities.

In the end, Hon'ble Minister of States and Hon'ble Union Minister, Rural Development expressed thanks to the CEGC members for sharing the issues being faced in implementing the scheme and suggesting ways to address them. He emphasized the measures the Government is taking for bringing transparency and accountability in the programme. Geo MGNREGA, Social audit, Ne-FMS, DBT, AADHAAR based payment system, verification and updation of Job cards, Completion of incomplete works, NRM Based Planning etc are the key focus areas of the Ministry. The Ministry is regularly monitoring the Person Days generation and other components of MGNREGA work. The Ministry is releasing funds to the States as per their demand and supporting the States in implementation of the programme in letter and spirit.

After threadbare discussion, following decisions are taken.

1. In order to strengthen the monitoring of programme implementation, the Ministry, from time to time, will invite the CEGC members to be part of the monitoring team.
2. The Ministry is in the process of restructuring the MIS and Website of MGNREGA. The CEGC members will be invited to the consultation meetings for offering their suggestions and views.
3. CEGC members will be consulted while drawing up policy drafts pertaining to MGNREGA.
4. The Ministry will take appropriate steps to curb the delays in wage payment.

Annexure-I

List of Participants in the 17th Meeting of CEGC

Sl. No	Name of Participants
1	Shri. Narendra Singh Tomar, Union Minister of Rural Development, Chairman
2	Shri Ram Kripal Yadav, Minister of State, Ministry of Rural Development
3	Shri Amarjeet Sinha, Secretary, MoRD
4	Smt Aparajita Sarangi, Joint Secretary, MoRD
	Representatives from Central Ministry
5	Shri Krishna Bahadur Singh, Director, Ministry of Women and Child Development
6	Shri Arun Kumar, Additional Private Secretary, Representative from Ministry of Panchayat Raj
7	Shri Praveen Shukla, Director, Ministry of Statistics and Programme Implementation
8	Smt Sunanda Sharma, Economic Adviser, Ministry of Tribal Affairs
9	Shri Rajeev Prakash, Director, Ministry of Tribal Affairs
10	Dr. Shikha Anand, Director, DGE, Ministry of Labour and Employment
	Representative from State Government
11	Shri Nagendra Nath Sinha, Principal Secretary – Rural Development, Government of Jharkhand
12	Dr Bhaskaran, Government of Andhra Pradesh
13	Shri Debashish Prusty, Commissioner MGNREGA, Government of Rajasthan
14	Dr G.S.G. Ayyangar, Secretary RD, Government of Tripura
15	Shri Ashish Srivastava, Resident Commissioner and Special Commissioner, Government of Madhya Pradesh
	Non Official Member (Representing PRI, Organisations working for disadvantaged group)
16	Smt. Shobha Singh, Ex-Zila Parishad Pramukh, Zila Parishad, Hanumangarh, Rajasthan

	Block Marwah, District-Kishtawar, (J&K)
18	Shri Pramathesh Ambasta, Co-Founder, Samaj Pragti Sahyog, District- Dewas, Madhya Pradesh-455227
19	Dr. Dhan Kumar , Tehsil-Israna, District- Panipat (Haryana)
20	Ms. Kamayini Swamy, General Secretary, Jan Jagran Shakti Sangathan, Patna (Bihar) - 800014
	Non Official members (Representing States)
21	Ms. Madhu Khetan. Integrator, Professional Assistance for Development Action (PRADHAN), Kailash Colony, New Delhi
22	Shri Amitabh Mukhopadhyay, Retd. IAAS officer, A-7/6, Vasant Vihar, New Delhi-110057
23	Ms. Vartika Nanda, Asst. Professor, Department of Journalism, Lady Shri Ram College, Delhi
24	Prof. N.H. Ravindranath, IISc, Central for Sustainable Technologies, Indian Institute of Science, Banglore-560012
25	Justice J. C. Vemra (Retd.), 90, Sector-11, Chandigarh
26	Shri M. N. Roy (Ex-IAS), Salt lake, Kolkata 700098

दिनांक 30 नवम्बर, 2016 को आयोजित केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद की 17वीं बैठक का कार्यवृत

केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद की 17वीं बैठक श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता दिनांक 13 नवम्बर, 2016 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इस बैठक में उपस्थित सरकारी और गैर-सरकारी अधिकारियों की सूची **अनुबंध-I** में दी गई है।

इस बैठक की शुरूआत वित्तीय वर्ष 2016-17 में मनरेगा के निष्पादन को रेखांकित करते हुए परिषद के समक्ष संयुक्त सचिव, मनरेगा के प्रस्तुतिकरण से की गई। मनरेगा के लिए किए गए बजटीय आवंटन में वृद्धि और मजदूरी के समय से भुगतान को सुनिश्चित करने वाले उपायों से स्पष्ट होता है कि सरकार इस कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। मंत्रालय डीबीटी, सामाजिक लेखा-परीक्षा, परिसंपत्तियों की जियो टेगिंग इत्यादि के माध्यम से तालमेल, जल संरक्षण एवं एनआरएम कार्यों, पारदर्शिता और जवाबदेही पर विशेष ध्यान देता है। अंतर राज्य कार्यक्रमों के आदान-प्रदान से राज्यों के बीच पारस्परिक समझ को बढ़ावा मिला है। बेयर-फुट तकनीशियन परियोजना और लाइवलिहुड्स इन फुल एम्पलोएमेंट (एलआईएफई) परियोजना के माध्यम से मनरेगा कामगारों के कौशल विकास की शुरूआत की गई है। दस्तावेजों के सुगमतापूर्वक रख-रखाव के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर रखे जाने वाले रजिस्टरों की संख्या को कम करके 7 कर दिया गया है।

परिषद के सदस्यों ने निम्नलिखित सुझाव दिए थे:-

1. न्यायाधीश जे सी वर्मा

हरियाणा राज्य में मनरेगा का कार्यान्वयन अक्षरशः नहीं किया जा रहा है। मंत्रालय हरियाणा में योजना के कार्यान्वयन की वास्तविक स्थिति जानने के लिए उपाय करे।

2. श्री अमिताभ मुखोपाध्याय

क. मंत्रालय सीईजीसी की भूमिका और इसके कार्यों को परिभाषित करे और सदस्य योजना की आयोजना एवं कार्यान्वयन में प्रभावी योगदान कैसे कर सकते हैं इसके लिए प्रोटोकॉल के बारे में बताएं।

ख. ऐसा पाया गया है कि बहुत से मामलों में कार्य की मांग राज्य की परियोजना के आधार पर दर्ज की जाती है, न कि जॉब कार्ड धारकों की वास्तविक मांग के आधार पर। मंत्रालय कार्य की मांग एवं कराए जाने वाले कार्य का विश्लेषण करे तथा हकदारी प्रक्रिया को सुगम बनाने के उपाय करे।

ग. मंत्रालय शिकायत निवारण प्रणाली को सुदृढ़ करे।

3. श्री एम एल रॉय

क. मनरेगा कार्यों की समग्र योजना बनाई जानी चाहिए तथा पूरे तकनीकी स्टाफ का क्षमता निर्माण किया जाए। पीएमएवाई के साथ मनरेगा के तालमेल को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण राज मिस्त्रियों को बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इससे निर्माण की गुणवत्ता भी सुनिश्चित होगी।

ख. एनई-एफएमएस की शुरूआत एक अच्छा उपाय है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इसके लिए एक समय सीमा निर्धारित की जा सकती है।

ग. देश में ग्रामीण सड़क नेटवर्क का एक उद्देश्य होना चाहिए। सड़क मार्ग से जुड़ी और न जुड़ी बसावटों की जानकारी रखने के लिए सड़क संबंधी रजिस्टरों की शुरूआत की जाए और इनका नियमित रूप से अद्यतन किया जाए। इससे सड़क नेटवर्क की जानकारी मिलेगी और पीएमजीएसवाई एवं अन्य सड़कों की योजना बनाने में सहायता मिलेगी।

घ. मनरेगा कार्यों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर जोर दिया जाना चाहिए। इन कार्यों की प्रगति तीन श्रेणियों अर्थात् आईएचएचएल, सामुदायिक शौचालय और ओडीएफ पंचायतों के तहत दर्ज की जानी चाहिए।

ङ. एनआरएम और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्यों के प्रभाव की जानकारी के लिए एक प्रभाव-मूल्यांकन अध्ययन किया जाए और इसके परिणाम समिति को भेजे जाएं।

4. प्रो. एन एच रविंद्रनाथ

क. जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभाव वैश्विक स्तर पर चिंता का विषय होने वाले हैं। हम मनरेगा कार्यों को जलवायु के अनुकूल, सूखा रोधन और स्थाई कृषि से जोड़ने के लिए एक व्यवस्था कर सकते हैं।

ख यूएन स्थाई विकास लक्ष्य (एसडीजी) और जलवायु के अनुकूल लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मनरेगा कार्यों को इसके अनुकूल बनाया जाए।

5. सुश्री मधु खेतान

क. ई-एफएमएस प्रणाली के फायदे और नुकसान को समझने के लिए एक स्वतंत्र अध्ययन शुरू किया जाए ताकि ई-एफएमएस कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाईयों को कम करने के लिए उपर्युक्त उपाय किए जा सकें।

ख. ग्राम पंचायतों के लिए पिछले वर्षों में आईपीपीई कार्य शुरू किए गए थे और अब ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) शुरू की जा रही है। आईपीपीई के दौरान निर्धारित की गई बहुत सी योजनाएं शुरू नहीं की गई थीं। वर्तमान में ऐसे कार्य जिन्हें तकनीकी और प्रशासनिक रूप से स्वीकृत किया गया है वे केवल एमआईएस में ही दिखाई दे रहे हैं। यद्यपि, परियोजनाओं की सम्पूर्ण सूची एमआईएस में दर्शाई जानी चाहिए। निर्धारित, कार्यान्वित की गई और शेष परियोजनाओं की सूची का विश्लेषण जीपीडीपी को तर्क संगत बनाने में सहायता करेगी। दूसरे, योजना 4-5 वर्षों के लिए बनाई जानी चाहिए ताकि प्रत्येक वर्ष योजना के दोहराव से बचा जा सके।

ग. मंत्रालय एमआईएस और मनरेगा वेबसाइट का नवीकरण करने के लिए योजना बना रहा है। इस वेबसाइट को प्रयोक्ता के अनुकूल बनाए जाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। इस प्रक्रिया में सीईजीसी सदस्यों को शामिल किया जा सकता है।

घ. ऐसा देखा गया है कि ई-एफएमएस प्रणाली, एफटीओ को अधिकांशतः खारिज कर दिया गया है। इस प्रकार के एफपीओ को खारिज किए जाने वाले कारणों का विश्लेषण किया जाए और इस प्रकार की समस्याओं को कम करने के लिए उपाए किए जाएं।

ङ. सीएफटी परियोजना की प्रगति के बारे में सीईजीसी को बताया जाए।

6. सुश्री शोभा सिंह

क. ई-एफएमएस के माध्यम से मजदूरी का भुगतान किया जाना प्रशंसनीय है लेकिन इसके प्रचालन में कठिनाई आती है। ऐसे मामले भी आए हैं जहां फिंगर प्रिंट पहचान में नहीं आती हैं। अतः कामगारों को मजदूरी का भुगतान नहीं हो सकता है।

ख. ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे मनरेगा कामगारों जिनके पास आधार कार्ड नहीं होता है उनके खाते खुलने से बैंक मना कर देते हैं। ऐसे बैंको को बिना आधार कार्ड के भी खाते खोलने के लिए निर्देश जारी किए जाएं। मनरेगा कामगारों के आधार कार्ड के लिए शिविरों का आयोजन किया जाए।

ग. ऐसे कामगार जिन्होंने मनरेगा में सौ दिन और उससे अधिक कार्य कर लिया है उन्हें प्राथमिकता देते हुए कैटलशेड, गोटशेड, पोल्ट्रीशेड आदि जैसी आजीविकाओं में वृद्धि करने के लिए प्रासंगिक अवसंरचनाएं उपलब्ध कराई जाएं।

7. श्री गुलाम मोहम्मद शेख

जम्मू एवं कश्मीर राज्य में मनरेगा कामगारों को समय से मजदूरी का भुगतान प्राप्त नहीं होता। कुछ मामलों में, कामगारों ने जितने दिन काम किया है उतने दिन का भुगतान भी नहीं किया गया है। मंत्रालय मनरेगा के कार्यों और भुगतान संबंधी मामलों के निरीक्षण लिए एक स्वतंत्र समिति का गठन किया जाए।

8. श्री प्रभातेश अम्बास्ता

क. क्लस्टर फेसिलिटेशन टीम (सीएफटी) परियोजना की प्रगति के बारे में सीईजीसी सदस्यों को बताया जाए।

ख. मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया मिशन जल संरक्षण एक स्वागत योग्य कदम है।

ग. सीईजीसी सदस्यों को कार्यक्रम की नीति निर्माण पहल में भागीदारी करने के लिए अधिक अवसर दिए जाएं।

घ. एमआईएस के अंतर्गत आने वाले शीर्षों को पुनर्गठित किए जाने की आवश्यकता है। वैयक्तिक परिसंपत्तियों के अलावा, समुदाय/जन परिसंपत्तियों के आंकड़े भी एमआईएस में दर्ज किए जाएं। इसके अलावा, एमआईएस में कार्य श्रेणियों को युक्ति संगत बनाई जाने की आवश्यकता है।

ङ. मनरेगा के कार्यान्वयन में आने वाले कुछ मुद्दे जिनका विश्लेषण किया जा सकता है और उनके लिए उपयुक्त उपाय किए जा सकते हैं, वे इस प्रकार हैं -

I. मजदूरी भुगतान में विलंब के कारण मनरेगा कार्य से विश्वास उठ गया है।

II. ई-एफएमएस और एनई-एफएमएस के माध्यम से निधियां कामगारों के बैंक खातों में सीधे जमा हो रही हैं। ग्राम पंचायतों की रूचि मनरेगा कार्यों में कम हो रही है क्योंकि वित्तीय संसाधनों पर उनका नियंत्रण कम होता जा रहा है।

III. ज़मीनी स्तर पर कार्यों की अप्रत्यक्ष हिस्सेदारी कम होती है। इस तरह की समस्याओं के समाधान के उपाए किए जाएं।

9. डॉ धर्म कुमार

हरियाणा में मनरेगा कार्यों की निगरानी और निरीक्षण को बढ़ावा देने के लिए उपाय किए जाने चाहिए। मंत्रालय मनरेगा के अंतर्गत अनुमेय कार्यों के रूप में पार्क, प्रवेश द्वार आदि के निर्माण जैसे कार्यों पर विचार करे।

10. सुश्री वर्तिका नन्दा

क. मंत्रालय असरदार मीडिया अभियानों के माध्यम से मनरेगा के अंतर्गत अपनी उपलब्धियों और पहलों को जनता के समक्ष लाए।

ख. "डवलेप्मेंट कम्यूनिकेशन" को पत्रकारिता के शैक्षणिक पाठ्यक्रमों के भाग के रूप में शामिल किया जाए। पत्रकारिता की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को मंत्रालय के सर्वोत्तम कार्यों का प्रलेखन करने का अवसर दिया जाए।

ग. ग्रामीण विकास मंत्रालय फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म का उपयोग प्रभावी रूप में कर सकता है।

घ. मनरेगा की उपलब्धियों और पहलों को दर्शाते हुए स्माल फिल्म क्लिप्स का सृजन किया जा सकता है।

ङ. क्षेत्रीय दौरों में भाग लेने के लिए सीईजीसी सदस्यों को आमंत्रित किया जाए और उनसे परामर्श लिया जाए ताकि वे अपने अनुभवों के आधार पर प्रक्रिया में सहायता कर सकें।

11. सुश्री कामायनी स्वामी

क. **<u>एनईएफएमएस और पीएफएमएस-</u>** प्रौद्योगिकी की सीमाओं के कारण कामगारों को काफी अधिक असुविधाएं हुई हैं। इसके अलावा, पहले जब भुगतान में विलंब होता था तब ब्लॉक स्तर पर मामले का समाधान किया जाता था, लेकिन ऐसे मामलों को ई-एफएमएस के अंतर्गत केंद्रित कर दिया गया है और सामान्य कामगार जिनकी पहुंच सूचना प्रौद्योगिकी तक नहीं होती है वे कठिनाई में पड़ जाते हैं। मंत्रालय निम्नलिखित विषय पर एनईएफएमएस और पीएफएमएस के प्रभाव के संबंध में सक्षम तकनीकी/शैक्षणिक संगठन द्वारा स्वतंत्र मूल्यांकन करा सकता है:-

i. राज्यों के पास निधियों की उपलब्धता
ii. कामगारों के मजदूरी भुगतान में विलंब

(ख) विलम्ब में भुगतान और मुआवजा

I. मजदूरी भुगतानों में विलम्ब के लिए दिए जाने वाले मुआवजे के संबंध में वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए देय राशि और भुगतान की गई राशि के बीच काफी अंतर है। इसका कारण यह है कि वार्षिक मास्टर परिपत्र की धारा 2.8.6 में कार्यक्रम अधिकारी के पास पर्याप्त निधि उपलब्ध न होने; प्राकृतिक आपदाएं आने; मुआवजा देय न होने और अन्यों की स्थिति में उसके पास देय मुआवजे का अनुमोदन देने या उसको अस्वीकृत करने का विवेकाधिकार दिया गया है। कार्यकारी अनुदेश (वार्षिक मास्टर परिपत्र) द्वारा पीओ को दिया गया अधिकार अधिनियम का उल्लंघन है।

II. इसके अतिरिक्त, अधिनियम की अनुसूची-। की धारा 29 (1)(ग) के बीच विसंगति है, जिसमें यह बताया गया है कि "कम्प्यूटर सिस्टम में यह व्यवस्था की गई है कि यह मस्टर रोल के समापन की तारीख और मजदूरी प्राप्त करने वालों के खाते में मजदूरी के जमा करने की तारीख के आधार पर देय मुआवजे की गणना स्वत हो जाएगी और वार्षिक मास्टर परिपत्र 2016 की धारा 2.8.4 में यह बताया गया है कि मस्टर रोल के समापन की तारीख और निधि अंतरण आदेश के सृजन की तारीख के आधार पर नरेगा सॉफ्ट में देय कुल मुआवजे की स्वत गणना की व्यवस्था की गई है।" यह इस अधिनियम का उल्लंघन है कि जिसमें 15 दिनों के अंदर कामगारों के खातों में मजदूरी का भुगतान करना होगा। और यह सिफारिश की गई है कि इस अधिनियम के प्रावधानों में स्थिरता लाने के लिए तुरंत वार्षिक मास्टर परिपत्र की इस धारा में सुधार किया जाए।

III. केंद्र सरकार को उन सभी राज्यों के खिलाफ अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, जिन्होंने मजदूरी में विलम्ब होने के कारण कामगारों को मुआवजे का भुगतान नहीं किया है।

IV. वार्षिक मास्टर परिपत्र, 2016 की धारा 2.8.9 में केंद्र सरकार द्वारा कामगारों को मुआवजे का अग्रिम भुगतान करने के बारे में बताया गया है और राज्यों के लिए अग्रिम रिलीज करने पर विचार किया गया है।

V. राज्यों के पास लम्बित देयताओं सहित ऋण शेष हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को इस मांग आधारित कार्यक्रम की बजटीय आवश्यकाताओं को पूरा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता बतानी चाहिए।

VI. राज्यों और केंद्र सरकारों द्वारा कुछ ऐसे विशेष कार्यों जैसे पोखर, आगंनवाडी केंद्र, वैयक्तिव परिवार शौचालय, वर्मी कम्पोस्ट या एनएडीईपी पिट्स के संबंध में लक्ष्य निर्धारित करना अधिनियम की अनुसूची-। की धारा 7 के अनुसार गैर -कानूनी और असमर्थनीय है। जिसमें शुरू किए जाने वाले कार्यों को ग्राम सभा के सामने प्रस्तुत करना होता है। यह सिफारिश की गई है कि मनरेगा के तहत इस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने की अनुमति न दी जाए।

VII. बिहार राज्य से नरेगा कामगारों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि यदि नरेगा कामगारों के फोटोग्राफ एमआईएस पर अपलोड नहीं किए गए हैं, तो वे काम करने मना कर रहे हैं और मांग का पंजीकरण नहीं करा रहे हैं। यह अधिनियम का उल्लंघन है। मंत्रालय को राज्यों के लिए ये अनुदेश जारी करने चाहिए कि फोटोग्राफ उपलब्ध न होने की स्थिति में कार्य का पंजीकरण/कार्य करने से मना नहीं किया जा सकता। यदि कामगारों के फोटोग्राफ लेने की

आवश्यकता हो तो कामगारों के फोटोग्राफ आदि के लिए पंचायत स्तर के शिविर लगाए जाने चाहिए।

VIII. मंत्रालय को कार्यक्रम के विभिन्न पहलूओं पर चर्चा करने के लिए उप-समूह गठित करने चाहिए।

12. जनजाति कार्य मंत्रालय

मंत्रालय को अनुसूचित जनजातियों के लोगों को पर्याप्त रोजगार उपलब्ध कराने पर जोर देना चाहिए और मनरेगा के तहत मजदूरी रोजगार प्राप्त करने वाले एसटी, पीवीटी के प्रतिशत का मूल्यांकन किया जाए।

13. डा.जीएसजी अय्यंगर, सचिव ग्रामीण विकास, त्रिपुरा सरकार

त्रिपुरा सरकार योजना के कार्यान्वयन के लिए सभी आवश्यक उपाय कर रही है। और मंत्रालय की सहायता से प्रगति में तेजी आई है।

14. श्री नगेन्द्र नाथ सिन्हा, प्रधान सचिव-ग्रामीण विकास, झारखंड सरकार

क. झारखंड राज्य के लिए अधिसूचित मजदूरी दर राज्य में प्रचलित मजदूरी दर से कम है। मंत्रालय झारखंड राज्य के लिए मजदूरी दर बढ़ाने पर विचार करे।

ख. परियोजना एलआईएफई में प्रशिक्षुओं को वृत्तिका नहीं दी जाती है और इसलिए बहुत कम अभ्यर्थी प्रशिक्षण में रूचि दिखा रहे हैं। वृत्तिका के प्रावधान पर विचार किया जाए और लागत मानदंड संशोधित किया जाए।

ग. वेंडर प्रबंधन राज्य से संबंधित विषय है। मनरेगा कार्यों के लिए वेंडर के रूप में कार्य करने के लिए एसएचजी को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य को दिशा-निर्देश जारी किए जाए।

घ. मंत्रालय ने नियमित मासिक पारिश्रमिक का भुगतान करने के लिए बीएफटी को दिशा-निर्देश जारी किए है। इस पर पुनर्विचार किया जाए।

15. श्री देवाशीष प्रस्ती, आयुक्त मनरेगा, राजस्थान सरकार

सिंचाई प्रणाली पर आधारित स्प्रिकंलर के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) के तहत दी गई सब्सिडी अपर्याप्त है। मंत्रालय मनरेगा कार्यों के लिए सामग्री घटक से अतिरिक्त आवश्यकता हेतु निधियां देने पर विचार करें।

16. डा. शिखा आनंद, निदेशक, डीजीई, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

विभिन्न कौशल प्रशिक्षण ट्रेड के तहत सभी मनरेगा कामगारों या प्रशिक्षण प्राप्त परिवार के सदस्यों को नेशनल सर्विस पोर्टल में शामिल किया जाए ताकि वे अन्य उपयुक्त रोजगार अवसर प्राप्त कर सकें।

अंत में माननीय राज्य मंत्री और माननीय केंद्रीय मंत्री, ग्रामीण विकास ने योजना के कार्यान्वयन में आ रही समस्याओं को साझा करने के लिए सीईजीसी के सदस्यों का धन्यवाद किया और उन समस्याओं के समाधान के लिए अपने सुझाव दिए। उन्होंने इन उपायों पर ध्यान दिया कि सरकार कार्यक्रम में पारदर्शिता और जवाबदेहिता लाने का उपाय कर रही है। जियो मनरेगा, समाजिक लेखा-परीक्षा, एनईएफएमएस, डीबीटी, आधार आधारित भुगतान प्रणाली, जॉब कार्डों का सत्यापन और अद्यतन, अधूरे पड़े कार्यों को पूरा करना, एनआरएम आधारित योजना आदि मंत्रालय का मुख्य क्षेत्र है। मंत्रालय श्रम दिवस सृजन और मनरेगा कार्य के अन्य घटकों की नियमित निगरानी कर रहा है। मंत्रालय राज्यों की मांग के अनुसार उनको निधियां रिलीज कर रहा है और राज्यों की कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अक्षरश: सहायता कर रहा है।

चर्चा के बाद निम्नलिखित निर्णय लिए गए है:-

1. कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मंत्रालय सीईजीसी सदस्यों को समय-समय पर निगरानी दल में शामिल करने के लिए आमंत्रित करेगा।

2. मंत्रालय में एमआईएस और मनरेगा की वेबसाइट के पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही है। सीईजीसी सदस्यों को उनको सुझाव और विचार प्रस्तुत करने के लिए परामर्श बैठकों में आमंत्रित किया जाएगा।

3. मनरेगा से संबंधित नीति प्रारूप तैयार करते समय सीईजीसी सदस्यों से परामर्श लिया जाएगा।

4. मंत्रालय मजदूरी भुगतान में होने वाले विलम्ब को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त उपाय करेगा।

अनुलग्नक-I

<u>सीईजीसी की 17वीं बैठक में भाग लेने वाले सहभागियों की सूची</u>

क्र.सं.	सहभागियों का नाम
1	श्री नरेंद्र सिंह तोमर, ग्रामीण विकास केंद्रीय मंत्री, अध्यक्ष
2	श्री राम कृपाल यादव, राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्रालय
3	श्री अमरजीत सिन्हा, सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय
4	श्रीमती अपराजिता सारंगी, संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय
	केंद्रीय मंत्रालय की ओर से प्रतिनिधि
5	श्री कृष्ण बहादुर सिंह, निदेशक, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
6	श्री अरुण कुमार, अपर निजी सचिव, पंचायत राज मंत्रालय से प्रतिनिधि
7	श्री प्रवीण शुक्ला, निदेशक, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
8	श्रीमती सुनंदा शर्मा, आर्थिक सलाहकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय
9	श्री राजीव प्रकाश, निदेशक, जनजातीय कार्य मंत्रालय
10	डॉ शिखा आनंद, निदेशक, डीजीई, श्रम और रोजगार मंत्रालय
	राज्य सरकार की ओर से प्रतिनिधि
11	श्री नागेन्द्र नाथ सिन्हा, प्रधान सचिव - ग्रामीण विकास, झारखंड सरकार
12	डॉ भास्करन, आंध्र प्रदेश सरकार
13	श्री देवाशीष प्रस्ती, आयुक्त मनरेगा, राजस्थान सरकार
14	डॉ जी.एस.जी. अय्यंगर, सचिव ग्रामीण विकास, त्रिपुरा सरकार
15	श्री आशीष श्रीवास्तव, आवासीय आयुक्त और विशेष आयुक्त, मध्य प्रदेश सरकार
	गैर सरकारी सदस्य (पंचायती राज, वंचित समूह के लिए कार्य करने वाले संगठनों की ओर से प्रतिनिधि)
16	श्रीमती शोभा सिंह, पूर्व जिला परिषद प्रमुख, जिला परिषद, हनुमानगढ़,

	राजस्थान
17	श्री गुलाम मोहम्मद शेख, सरपंच, पंचायत चांजर, ब्लॉक मारवाह, जिला - किश्तवार, (जम्मू-कश्मीर)
18	श्री प्रभातेष अम्बास्ता, सह संस्थापक, समाज प्रगति सहयोग, जिला देवास, मध्य प्रदेश-455227
19	डॉ. धन कुमार, तहसील-इसराना, जिला-पानीपत (हरियाणा)
20	सुश्री कामायनी स्वामी, महासचिव, जन जागरण शक्ति संगठन, पटना (बिहार) - 800014
	गैर सरकारी सदस्य (राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले)
21	सुश्री मधु खेतान, इंटीग्रेटर, प्रोफेशनल अस्सिटेंस फॉर डवलपमेंट एक्शन (पीआरएडीएचएएन), कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली
22	श्री अमिताभ मुखोपाध्याय, सेवानिवृत, आईएएस अधिकारी, ए-7/6, वसंत विहार, नई दिल्ली 110057
23	सुश्री वर्तिका नंदा, सहायक प्रोफेसर, पत्रकारिता विभाग, लेडी श्रीराम कॉलेज, दिल्ली
24	प्रो एन.एच. रविंद्रनाथ, आईआईएससी, सेंट्रल फॉर सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर-560012
25	न्यायमूर्ति जे सी वर्मा (सेवानिवृत्त।), 90, सेक्टर 11, चंडीगढ़
26	श्री एम एन रॉय (पूर्व आईएएस), साल्ट लेक, कोलकाता-700098